CMYK

डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20 | मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 62 ● अंक 3 ● भोपाल ● 16-31 जुलाई, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/– ● आजीवन शुल्क 1500/–

प्रदेश के विकास में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विकास योजनाओं के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया जा रहा है। प्रदेश ने विकास की अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इनमें सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारी संस्थाएँ किसानों तक राज्य शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संबल योजना गरीब श्रमिकों के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लायेगी। प्रदेश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जायेगा। सहकारिता राज्यमंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि कृषि विकास के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान है। पिछले वर्षों में प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है।

कार्यक्रम को अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर इंदौर प्रीमियर कोआपरेटिव बैंक की स्मारिका शताब्दी दर्पण का विमोचन भी किया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब और भी आसान

भोपाल। फसल बीमा अब और भी आसान हो गया है, नये पोर्टल के माध्यम से अब जल्द ही किसान स्वत: भी अपने फसल का बीमा व उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और अपने फसल नुकसान के लिये दावा क्लेम भी कर सकेंगे, दावा प्रक्रिया की क्रमश: जानकारी पोर्टल के माध्यम से देखी जा सकेगी। अब किसानों को बार–बार बैंकों या संबंधित शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे, यदि किसी भी किसान की फसल क्षति होती है तो किसान सीधे पोर्टल पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे और टोल फ्री नम्बर पर फोन पर संबंधित विषय की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। (pmfby-gov-in) पोर्टल पर लागिन कर और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2018 में जिला तहसील पटवारी हल्का 1 अप्रैल से 16 अगस्त 2018 तक अधिसूचित फसलों के लिये लागू की गई है। यह योजना अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य है, एवं अऋणी कृषकों के लिये एच्छिक है। कृषकों के लिये प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 2.00 प्रतिशत या वास्तविक दर से जो भी कम हो कपास फसल के लिये बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो। यदि प्रभावित फसल का अपेक्षित नुकसान अधिसूचित बीमा इकाई के सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से अधिक है तो अग्रिम भुगतान किया जायेगा। इस योजनांतर्गत बुआई, रोपाई, अंकुरण, कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम दिशाओं के कारण अधिसूचित फसल के कुल 75 प्रतिशत या अधिक क्षतिग्रस्त होने पर जोखिम लागू होगा।

किसानों को रूपे के.सी.सी. कार्ड का वितरण अगले 15 दिन में : श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि किसानों को अगले 15 दिन में रूपे के.सी.सी. कार्ड का वितरण किया जायेगा। सहकारिता विभाग समितियों के माध्यम से किसानों के घर तक कार्ड पहुँचाने की व्यवस्था कर रहा है। श्री सारंग अपेक्स बैंक के सभागार में जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष–उपाध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्री सारंग ने कहा कि अब तक 6 लाख 50 हजार रूपे के.सी.सी. कार्ड जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वितरित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों को किसानों द्वारा रूपे के.सी.सी. कार्ड में लेन–देन करने का फीडबेक मिल रहा है। श्री सारंग ने कहा कि यह अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को सशक्त किया जा रहा है। श्री सारंग ने कहा कि बैंकों को जनता के बीच अपनी प्रभावी कार्यशैली की छवि बनाना चाहिये। सहकारी समितियों के माध्यम से नवाचारी प्रयास करना चाहिये। श्री सारंग ने कहा कि राष्ट्रीय स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन से राज्य सहकारी संघ द्वारा स्किल इण्डिया प्रोजेक्ट में सहकारिता विभाग के अधिकारियों– कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रशासक अपेक्स बैंक श्री रमाकांत भार्गव ने मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना सहित बैंकों द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता ने बैठक में प्राप्त सुझावों पर अमल की बात कही।

CMYK

सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सूचना के अधिकार का प्रशिक्षण

भोपाल। कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ के तत्ववाधान में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रदेश के सहकारिता विभाग के अधिकारियों हेतु सूचना के अधिकार का दिनांक 12 जुलाई को भोपाल में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें इंदौर, उज्जैन, जबलपुर तथा सागर के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण श्री पृथ्वीराज सिन्हा द्वारा दिया गया।

जिला सहकारी बैंक बालाघाट एवं सेवा सहकारी समिति लिंगा और खुरसोड़ी में किया गया वृक्षारोपण

बालाघाट। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट बैंक मुख्यालय, सेवा सहकारी समिति लिंगा और सेवा सहकारी समिति खुरसोड़ी में दिनांक 06 जुलाई 2018 को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा के द्वारा सेवा सहकारी समिति लिंगा में संस्था प्रबंधक कंकर लिल्हारे और उपस्थित ग्रामीणजनों के हस्ते नीम, मुनगा, जामुन, आम आदि पौधे लगाये गये।

इसके अलावा सेवा सहकारी समिति खुरसोड़ी में भी श्री रायजादा के द्वारा विभिन्न प्रकार के फलदार व छायादार पौधे रोपित किये गये। इसी तारतम्य में खुरसोड़ी स्थित सॉई मंदिर के प्रांगण में बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा और उपस्थितजनो द्वारा जामुन और मुनगे का पौधा लगाया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पौधे रोपित कर देने के पश्चात उनकी सुरक्षा भी आवश्यक है। इसी तरह बैंक मुख्यालय बालाघाट में भी बैंक अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा के साथ राजीव सोनी प्रभारी प्रबंधक लेखा, श्रीमती अनम्मा हरपाल, श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा, राजेश नगपुरे, जगदीश सुखदेवे, सतीश कोरी, डी.ए. कुम्भारे, लता गौतम, सीमा देव, राजू लिल्हारे, गंगा राहंगडाले, सुनिता मण्डलवार, अनिरूद्ध वागदे, सीमा दुबे, राकेश असाटी, दीनदयाल ठाकरे, संजय गोले, नेहा माहुले, अशोक नेमा, गिरीश हनवत, शरदसिंह आदि उपस्थित थे।

सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के निर्देश जारी

गुना। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018–19 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के व्यवस्थित वितरण के लिए आयुक्त लोक शिक्षण ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। पाठ्य पुस्तकें निश्चित समय–सीमा में वितरित की जायें।

प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए जिलों से ऑनलाईन की गई माँग के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कराया गया है। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा डिपो से विकासखण्ड स्तर पर पाठ्य पुस्तकें पहुँचायी जा रही हैं। पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जन–प्रतिनिधि की मौजूदगी में किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द विक्रय के लिये जिलेवार मंडियां अधिसूचित

भोपाल। प्रदेश में रबी वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द विक्रय के लिये जिलेवार मंडियों को अधिसूचित कर दिया गया है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा अधिसूचित मंडियों की सूची जारी की गई है। योजना अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में अधिसूचित मंडी परिसर में राज्य में उत्पादित ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द का विक्रय किए जाने पर ही प्रोत्साहन राशि के लिये पात्रता होगी।

ग्रीष्मकालीन मूंग विक्रय के लिये सीहोर जिला में आष्टा, सीहोर, नसरूल्लागंज, बकतरा, रेहटी श्यामपुर,इछावर, जावर मंडी, रायसेन जिले में बरेली, औबेदुल्लागंज, रायसेन, उदयपुरा, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी मंडी,विदिशा जिले में गंजबासोदा, विदिशा, सिंरोज, शमशाबाद, लटेरी, कुरवाई, गुलाबगंज मंडी हरदा जिले में हरदा, टिमरनी, खिरकिया, सिराली मंडी होशंगाबाद जिले में पिपरिया, इटारसी, बानापुरा, होशंगाबाद, सेमरीहरचंद, बनखेड़ी, बाबई इंदौर जिले में इंदौर, सावेर, महू, गौतमपुरा धार जिले में धार, बदनावर, धासनोद, राजगढ़, मनावर, कुक्षी, गधवानी मंडी देवास जिले में देवास, खातेगांव, सोनकच्छ, लोहादों, कन्नोद हाटपिपल्या, बागली मंडी और गुना जिले में गुना, कुम्भराज, आरोन, बीनागंज, मकसूदनगढ़ और राधोगढ़ मंडी को अधिसूचित किया गया है।

ग्रीष्मकालीन उड़द के लिये दमोह जिले में दमोह, पथरिया, जबेरा, हटा मंडी कटनी जिले में कटनी मंडी, डिंडोरी जिले में गोरखपुर, डिंडोरी, शहपुरा 'निवास' मंडी, सिवनी जिले में सिवनी और केवलारी मंडी को अधिसूचित किया गया है। ग्रीष्माकालीन उड़द और मूंग दोनो के लिये जबलपुर जिले में जबलपुर, सिहोरा, शहपुरा 'भिटौनी', पाटन मंडी बालाघाट जिले में वारासिवनी बालाघाट कटंगी लालबर्रा, परसवाड़ा, मोहगाँव, खेरलांजी, नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा, करेली, नरसिहपुर, गोटेगांव और तेंदूखेड़ा मंडी को अधिसूचित किया गया है।

किसानों की आय दोगुनी नहीं होने तक चैन की साँस नहीं लेंगे : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयपुरा में कहा कि जब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हो जाती तब तक हम चैन की साँस नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए हर कदम उठा रही है। पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पहले मात्र साढ़े सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी जिसे बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। आगामी वर्षो में इसे 80 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर एक लाख 80 हजार करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

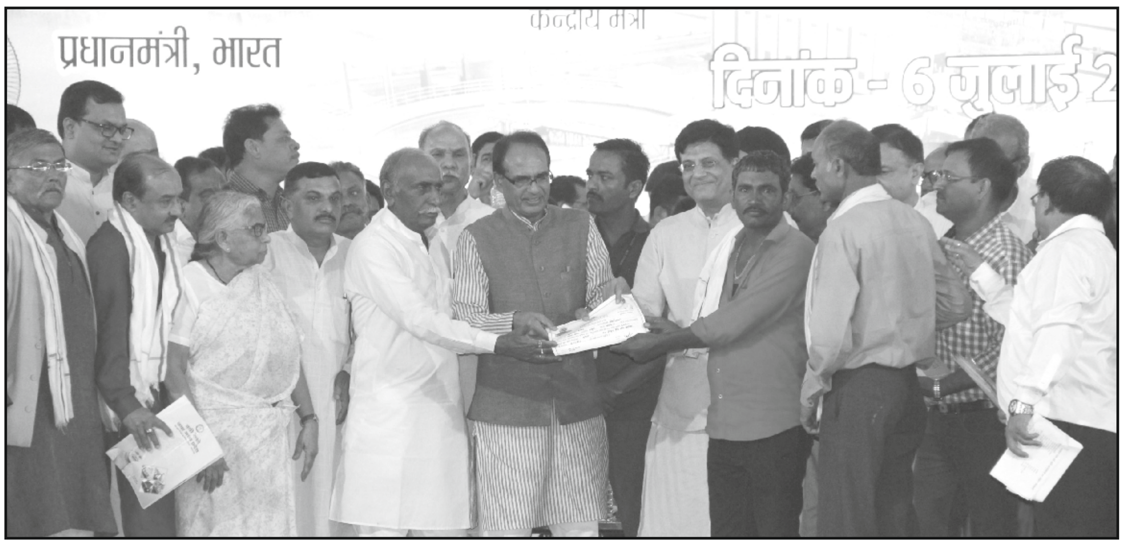

एक वर्ष में किसानों के खाते में 30 हजार 362 करोड़ की राशि पहुँची

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले एक वर्ष की अवधि में किसानों के खातों में भावांतर भुगतान योजना, कृषक समृद्धि योजना सहित अन्य किसान हितैषी योजनाओं में 30 हजार 362 करोड़ रूपए किसानों के खातों में जमा करवाये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कृषि उपजों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि एक बार में समर्थन मूल्य की इतनी राशि एक साथ कभी नहीं बढ़ी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि असंगठित श्रमिकों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री जन–कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास मिशन में घर बनाकर दिए जाएंगे। श्रमिकों के बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्चतम स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जायेगी। उन्होंने बताया कि संबल योजना के हितग्राहियों को आगामी 4 अगस्त से पूरे प्रदेश में एक साथ लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा।

संबल में पंजीकृत श्रमिक सरल बिजली योजना के पात्र

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों को संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक सरल बिजली योजना के पात्र होंगे। उन्हें नया विद्युत कनेक्शन लेने के लिए अलग से कोई राशि नहीं देनी होगी। पात्र हितग्राहियों को मात्र 200 रूपए प्रतिमाह बिजली का बिल देना होगा जिसमें चार बल्ब, दो पंखे और एक टीवी चलाया जा सकेगा। पुराने बिजली के बिल माफ करने के लिए जुलाई और अगस्त के महीनों में शिविर लगाए जायेंगे। हितग्राहियों को जुलाई माह के बिल के अगस्त में भुगतान से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गांव तक नल–जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई देते हुए कहा कि श्री चौहान के नेतृत्व में विकास का नया इतिहास रचा जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। श्री गोयल ने कहा कि राज्य सरकार की भावांतर योजना तथा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह तथा सांसद श्री उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश के विकास और आमजन के कल्याण के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। कार्यक्रम में उदयपुरा विधायक श्री रामकिशन पटेल, गाडरवारा विधायक श्री गोविन्द सिंह सहित अन्य जन–प्रतिनिधि तथा विभिन्न योजनाओं के हितग्राही उपस्थित थे।

कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन 30 जुलाई तक

भोपाल। आत्मा परियोजना के अंतर्गत संचालित कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत वर्ष 2017–18 की गतिविधियों के आधार पर कृषक पुरस्कार प्रदान किए जायेंगे। कृषकों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीकी, उपज एवं उत्पादकता के आधार पर इच्छुक किसान या किसान समूह 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

इसमें जिले के विभिन्न पाँच इंटरप्राइजेज या गतिविधियों में एक–एक कृषक को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर 25 हजार रूपए एवं जिले में प्रत्येक विकासखण्ड से पाँच विभिन्न गतिविधियों के एक–एक किसान को 10 हजार रूपए का पुरस्कार तथा किसान समूह को 20 हजार रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। किसान पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रपत्र प्रत्येक विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (बी.टी.एम.) तथा परियोजना संचालक आत्मा समिति से प्राप्त कर सकते हैं। कृषक अपना आवेदन पत्र भरकर विकासखण्ड कार्यालय तथा जिला आत्मा समिति परियोजना संचालक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

इसके साथ ही उद्यानिकी कृषक, पशुपालक, मछली पालक एवं कृषि अभियांत्रिकीय कृषक क्रमशः उद्यान, पशुपालन, मछली पालन तथा कृषि अभियांत्रिकीय विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित विभाग से सत्यापन पश्चात जमा कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा है 4 हजार 453 करोड़

भोपाल। मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को हित–लाभ भुगतान के लिए मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि का गठन किया गया है। निधि में हितग्राहियों के लिए अब तक 4 हजार 453 करोड़ रूपये जमा किये जा चुके हैं। हितग्राही के नाम जमा राशि की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। वर्तमान डोमेन पर पंजीकरण के बाद अब क्यू.आर. कोड की कोई आवश्यकता नहीं रही है। इस निधि में जमा राशि से हितग्राही बालिकाओं को योजना के नियमानुसार छात्रवृत्ति और अंतिम भुगतान की व्यवस्था है। महिला बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन हर स्तर पर नियमानुसार किया जा रहा है। हितग्राहियों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है।

विभाग ने लाड़ली लक्ष्मी योजना पर विभिन्न मीडिया में चल रही खबरों के संबंध में स्पष्ट किया है कि अब हितग्राही के लिए वेबसाइट से स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यू.आर. कोड सिर्फ एक माध्यम है। हितग्राही प्रमाण–पत्र में दिये गये आई.डी. क्रमांक, स्वयं के नाम, माता–पिता के नाम अथवा स्वयं की जन्म–तिथि से वेबसाइट से अपना प्रमाण–पत्र और अन्य जानकारियॉं प्राप्त कर सकता है। समस्त हितग्राहियों के प्रमाण–पत्र और अन्य जानकारियॉं ladlilaxmi-mp-gov-in पर पूरी तरह सुरक्षित हैं और आसानी से उपलब्ध भी हैं।

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2018 में विभागीय वेबसाइट ladlilaxmi-mp-gov-in को बंद कर दिया गया था। यह वेबसाइट गैर शासकीय सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत थी। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति के परिपालन और डाटा सुरक्षा की दृष्टि से शासकीय वेबसाइट का डोमेन पंजीयन एन.आई.सी. के साथ किया गया। यह वेबसाइट ladlilaxmi-mp-gov-in नाम से पंजीकृत की गई है।

मण्डी समितियों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया

भोपाल। राज्य शासन द्वारा मण्डी समितियों का बढ़ा हुआ कार्यकाल, जो 7 जुलाई को खत्म हो गया था, उसे आगामी 6 महीने या मण्डी समितियों के नये निर्वाचन होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये बढ़ा दिया गया है। कार्यकाल में वृद्धि प्रदेश में रबी 2017–18 में सूखे की स्थिति, मानसून तथा प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत चना, मसूर, सरसों का उपार्जन, कृषक समृद्धि योजना में प्याज, लहसुन, ग्रीष्मकालीन मूँग, उड़द के मण्डियों में क्रय–विक्रय को दृष्टिगत रखते हुए नियत समय में मण्डी निर्वाचन कराना संभव नहीं होने के कारण मण्डी समितियों के कार्यकाल में वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित (माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैदान, इंदौर
फोन : 0731-241908, 9926451862

किसानों को एक साल में दिये 35 हजार करोड़

देवास में हुए किसान महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एक साल में किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं में लगभग 35 हजार करोड़ रूपये की सहायता पहुँचाई गई है।

राज्य सरकार ने नर्मदा के पानी को क्षिप्रा नदी में डालने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। आज नर्मदा मैया की कृपा से देवास को पीने का पानी सहजता से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देवास, उज्जैन, शाजापुर और आगर जिलों में सिंचाई के लिए नर्मदा–कालीसिंध पार्ट–1 व पार्ट–2 तथा नर्मदा मालवा–गंभीर पार्ट–01 और पार्ट–02 तथा नर्मदा मालवा–क्षिप्रा पार्ट–2 लिंक परियोजनाओं से सिंचाई की योजना तैयार की गई है। इसमें विभिन्न चरणों में लगभग 14 लाख 20 हजार एकड़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था होने से अगले पांच साल में इन जिलों में फसलों का पूरा पैटर्न ही बदल जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को देवास में "किसान महासम्मेलन" को संबोधित कर रहे थे।

किसानों के 30 हजार बेटा–बेटियों के लिये ऋण की व्यवस्था

श्री चौहान ने कहा कि किसानों को फसलों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए फसलों के निर्यात के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिये एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फुड प्रोसेसिंग इकाईयों की स्थापना को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल किसानों के 30 हजार बेटा–बेटियों को इस योजना में ऋण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने असंगठित श्रमिकों और गरीबों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि अगले चार साल में हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा। गरीबों, श्रमिकों के बेटा–बेटियों की उच्च शिक्षा की फीस सरकार भरेगी। उन्होंने बताया कि बिजली बिल माफी योजना में सभी गरीबों और श्रमिकों के बिजली बिल माफ करने के लिए कैम्प लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटी के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो उसे फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। सागर में एक बच्ची के साथ हुई दुराचार की घटना में आरोपी को फांसी की सजा हो गई है। श्री चौहान ने महा–सम्मेलन में जनसैलाब से बेटी बचाने, बेटियों का मान–सम्मान करने, पानी बचाने, नया मध्यप्रदेश बनाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने का आहवान किया।

महा–सम्मेलन में तकनीकी कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी, सांसद श्री मनोहर ऊंटवाल तथा विधायक श्रीमती गायत्रीराजे पवार ने भी विचार रखे।

प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 34 करोड़ 81 लाख लागत की 3 सड़कों का भूमि–पूजन किया। देवास जिले के लगभग एक लाख 6 हजार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ–2017 के 552 करोड़ रुपए से अधिक की दावा राशि के भुगतान प्रमाण–पत्र वितरण कार्य की शुरूआत की। प्रतीक स्वरूप हितग्राहियों को बीमा दावा राशि के प्रमाण–पत्र भी वितरित किए। महा–सम्मेलन में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2105 हितग्राहियों को 25 करोड़ 26 लाख के स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। इसके अलावा मुख्ययंत्री बिजली माफी योजना के पांच हितग्राहियों तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में दो महिलाओं को प्रतीक स्वरूप गैस कनेक्शन के प्रमाण–पत्र दिए गए। कार्यक्रम में संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुरेंद्र पटवा, विधायक श्री आशीष शर्मा, श्री राजेंद्र वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह राजपूत, महापौर श्री सुभाष शर्मा, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री रायसिंह सेंधव, मप्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष श्री सुरेश आर्य सहित अन्य जन–प्रतिनिधि उपस्थित थे।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना प्रारंभ

रायसेन। प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना में विविध रोजगार मूलक परीक्षाओं की तैयारी के लिये निरुशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जायेगा।

विमुक्त, घुमक्कड़ एंव अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को नियोजन की मांग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

योजना में राज्य लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे, बैकिंग, बीमा क्षेत्र आदि सेवाओं के अतिरिक्त केन्द्र/राज्य शासन द्वारा आयोजित विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक विषयों की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर सर्टि–फिकेट पाठ्यक्रमों के लिये निःशुल्क एवं गुणवत्ता पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में 51 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियाँ अधिसूचित हैं। इन वर्गों के समग्र शैक्षणिक उत्थान के लिये राज्य छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक योजनाएँ, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही है।

सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ पंजीकृत श्रमिक ले सकेंगे

होशंगाबाद। सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिक ले सकेंगे। इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की सुविधा रहेगी। पात्र उपभोक्ताओं को 200 रूपए से कम का बिजली बिल आने पर वास्तविक बिल राशि का ही भुगतान करना होगा। बिल की राशि यदि 200 रूपए से अधिक है तो उपभोक्ता को मात्र 200 रूपए का ही भुगतान करना होगा। बिल की राशि यदि 200 रूपए से अधिक है तो शासन द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। यह स्कीम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लागू की गई है। हितग्राहियों को अगस्त माह के बिल से इस स्कीम का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि एयर कन्डीशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा एक हजार वाट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता इस स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे। पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता केन्द्र अथवा शिविर में आवेदन देकर योजना का लाभ ले सकेंगे।

बताया गया कि इस योजना में पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ता ही पात्र होंगे। योजना में 30 जून 2018 की स्थिति में पूर्ण मूल बकाया एवं सरचार्ज राशि माफ होगी। योजना का सभी हाट बाजारों में प्रचार–प्रसार किया जाएगा तथा शिविर के माध्यम से भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

महिला स्व-सहायता समूह करेंगे मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण

मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने ली म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद की बैठक

भोपाल। महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा मनरेगा द्वारा कराये गये शत–प्रतिशत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाया जायेगा। इस वर्ष मनरेगा के माध्यम से 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये निर्णय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में हुई म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद सामान्य सभा की 5वीं बैठक में लिये गये। बैठक में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता भी उपस्थित थे।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में अनेक परिसम्पत्तियों का निर्माण करवाया जाता है। इन कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीणों द्वारा ही करवाया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में कराये जा रहे कार्यों का ग्राम के ही महिला स्व–सहायता समूह के कम से कम तीन सदस्यों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाये। यह समूह एक सप्ताह में सम्पत्तियों और कार्यों का भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट ग्राम–सभा को सौंपेगा। ग्राम–सभा में इस रिपोर्ट का ग्रामीणों के समक्ष वाचन किया जायेगा। जिन कार्यों में कमी पाई जायेगी, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी। प्रत्येक ग्राम–सभा में जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा। जिसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, उसे भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जन–सुनवाई पैनल भी गठित किया गया है।

श्री भार्गव ने कहा कि वर्षा–काल में मनरेगा में वृक्षारोपण का कार्य भी प्राथमिकता के साथ कराया जाये। इसके लिये ग्राम पंचायत को एजेंसी निर्धारित करें और पौध–रोपण की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। उन्होंने कहा कि जो पौधे लगाये जायें, उनकी आयु 2 से 3 वर्ष तक की होना चाहिये। वृक्षारोपण के कार्य किसानों के खेत की मेढ़ पर, सार्वजनिक परिसर में, शासकीय भूमि पर, नहर किनारे आवश्यक रूप से करवाये जायेंगे।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि मनरेगा के तहत कराये जा रहे कार्यों की मॉनीटरिंग 'जियो–टेग' एप के माध्यम से की जा रही है, जो देश में सर्वोत्तम एप है। प्रदेश में 29.85 लाख पूर्ण कार्यों में से 25.21 लाख कार्यों की जियो–टेगिंग की जा चुकी है।

आयुक्त रोजगार गारंटी परिषद श्रीमती जी.व्ही. रश्मि ने बताया कि वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ मानव दिवस रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान मजदूरी की दर 174 रुपये मानव दिवस के मान से 3480 करोड़ रुपये का भुगतान किया जायेगा।

सहकारी बैंक के नवनियुक्त लिपिकों को दिया गया प्रशिक्षण

बालाघाट। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट में आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर नवनियुक्त लिपिक, कम्प्यूटर आपरेटरों का 04 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बैंक मुख्यालय के सभाकक्ष में दिनांक 02 से 05 जुलाई तक किया गया था। प्रशिक्षण के पूर्व नवनियुक्त लिपिकों से औपचारिक परिचर्चा आयोजित की गई थी। इस अवसर पर बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा एवं बैंक महाप्रबंधक पी. एस. धनवाल के द्वारा बैंक से संबंधित विभिन्न जानकारियों से लिपिको को अवगत कराया गया। इसी तारतम्य में प्रशिक्षण के दौरान सीबीएस कोर बैंकिंग अंतर्गत जानकारियां प्रोजेक्टर के माध्यम से लिपिको को दी गई। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर बैंक उपाध्यक्ष महेन्द्र पटले, राजीव सोनी प्रभारी प्रबंधक लेखा, राजेश नगपुरे, अनम्मा हरपाल, पी. जोशी ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का आभार रोहित ढोढरे द्वारा किया गया।

बीज ग्राम कार्यक्रम के संबंध में निर्देश जारी

भोपाल। प्रदेश में केन्द्र सरकार के बीज ग्राम को लागू करने के लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिलों में पदस्थ उप संचालकों को दिशा–निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में 5,500 बीज ग्राम कार्यक्रम खरीफ–2018 सीजन के दौरान आयोजित किये जाने हैं। इसके लिये वित्तीय आवंटन भी जारी कर दिया गया है। कृषि विभाग के उप संचालकों से कहा गया है कि प्रति बीज ग्राम कम से कम 50 हितग्राहियों के कार्यक्रम आयोजित किये जायें। बीज ग्राम में हितग्राहियों को दी जाने वाली अनुदान वस्तु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन काइंड (डीबीटी) के माध्यम से दी जाये।

वरिष्ठजन की समस्याओं के निराकरण के लिये हेल्पलाइन का शुभारंभ

भोपाल। वरिष्ठजनों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण एक टेलीफोन कॉल से हो सकेगा। इसके लिये सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने हेल्पेज इंडिया के सहयोग से वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम के तहत टोल फ्री हेल्पलाइन 18002331253 शुरू की है। युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्कूल एवं कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी विभाग द्वारा कराया जाएगा। हेल्पलाइन के माध्यम से वरिष्ठजनों को शारीरिक प्रताड़ना, काउंसलिंग, परिवार परामर्श एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

रबी सीजन में भी होगा सूखा घोषित

सूखा की स्थिति से निपटने के लिये स्थायी राहत निर्देश

बैतूल। राज्य शासन द्वारा सूखा घोषणा एवं प्रबंधन के लिये पूर्व के निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नये निर्देश जारी किये गये हैं। अब रबी सीजन में भी सूखा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। पहले सिर्फ खरीफ सीजन में ही सूखा घोषित करने का प्रावधान था। खरीफ में अगस्त तथा रबी में दिसंबर तक अग्रिम सूखा घोषित किया जा सकेगा।

90 दिन तक पेयजल परिवहन के अधिकार कलेक्टर को

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि सामान्य स्थिति में 30 दिन और सूखा में 90 दिन पेयजल परिवहन के अधिकार कलेक्टर को दिये गये हैं। 90 दिन से अधिक के लिये राज्य शासन की अनुमति लेनी होगी। पहले सभी अनुमतियाँ राज्य शासन द्वारा जारी की जाती थीं। अब सूखा राहत मद से पेयजल स्त्रोतों की मरम्मत भी करायी जा सकेगी।

सूखा के लिये वैज्ञानिक मापदण्ड

सूखा की घोषणा वैज्ञानिक मापदण्डों के आधार पर भारत सरकार के सूखा प्रबंधन मैनुअल–2016 के आधार पर की जायेगी। पहले चरण में वर्षा के आंकड़ों का परीक्षण होगा। फिर बोनी के क्षेत्र, जल विज्ञान संबंधी सूचकांकों, सुदूर संवेदन के सूचकांकों और मृदा नमी के सूचकांको को जांचा जायेगा। तीसरे चरण में मौका सत्यापन करवाया जायेगा।। जिसमें पहले और दूसरे चरण के निष्कर्षो की पुष्टि की जायेगी। मौका सत्यापन में अगर 33 प्रतिशत या अधिक की क्षति पायी जाती है, तो मध्यम सूखा और 50 प्रतिशत से अधिक की फसल क्षति पर क्षेत्र गंभीर सूखा की पात्रता में आयेगा। सूखा क्षेत्र की भौगोलिक एवं प्रशासकीय इकाई ग्राम पंचायत, तहसील अथवा जिला हो सकती है। सूखा की अधिसूचना अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रहेगी। खरीफ के सूखे की अधिसूचना अधिकतम 30 अक्टूबर और रबी के सूखे की अधिसूचना अधिकतम 31 मार्च तक जारी की जायेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) में 100 कार्य दिवस का रोजगार प्रत्येक जाबकार्ड धारक परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। सूखे की स्थिति में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। राहत कार्यों में अधिकांश कार्य जल संरक्षण के करवायें जायेंगे।

कृषक और उनके, पुत्रियों एवं परिवार को उद्यम हेतु मुख्यमंत्री कृषक योजना

गुना। मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा 16 नवम्बर 2017 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। यह योजना प्रदेश के मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना है। उक्त योजना में कृषक पुत्र/ पुत्रियां एवं परिवार के सदस्य को लाभ प्रदान कराना है। इस योजना के तहत 50,000 रूपये से 9,99,999 तथा दस लाख से 2 करोड़ रूपये तक बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जायेगा। योजना में 15 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 12 लाख रूपये अनुदान प्रावधानिक किया गया है। बीपीएल वर्ग के लोगों के लिए 20 प्रतिशत राशि 18 लाख रूपये अधिकतम अनुदान प्रदान किया जायेगा। उक्त योजना में लाभ लेने हेतु आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, 10वीं उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष के किसान पुत्र, पुत्री या स्वयं आवेदन कर सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा आवेदन के साथ वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की खाते की फोटो कापी संलग्न करना आवश्यक है। उक्त योजनान्तर्गत कृषि आधारित परियोजनायें शामिल है। जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, केटल फीड, फिश फिड, आयल मिल, फ्लोर मिल, कस्टम हायरिंग इत्यादि।

संबल योजना गरीबों के कल्याण का नया इतिहास रचेगी : मुख्यमंत्री

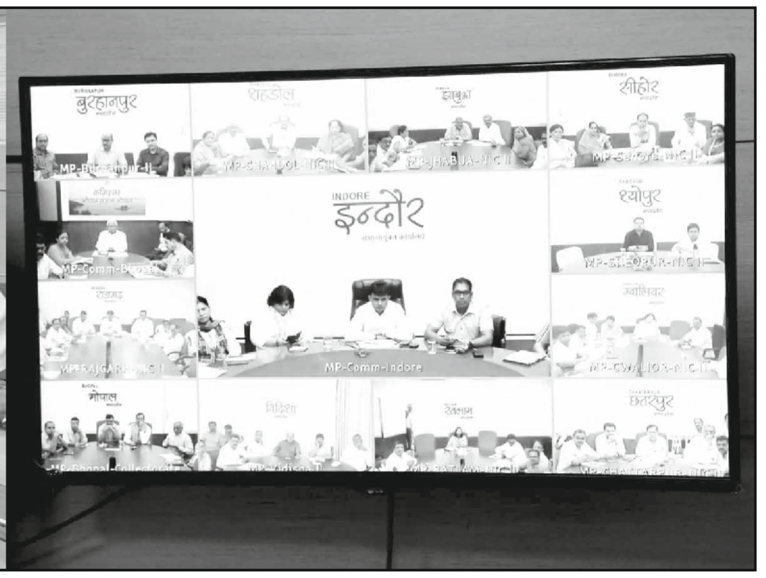

भोपाल। मुख्यमंत्री जन–कल्याण (संबल) योजना में अब तक एक करोड़ 83 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इस योजना में मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना में 5 हजार 179 करोड़ रूपये के बिजली के बकाया बिल माफ होंगे। बिजली बिल माफी के लिये अब तक प्रदेश में 16 लाख हितग्राहियों ने पंजीयन करवाया है। सरल बिजली बिल योजना में कर्मकार मंडल के श्रमिक भी शामिल किये गये हैं। योजना का शुभारंभ 3 जुलाई से हो रहा है। इसके बाद योजना में पंजीकृत श्रमिकों को 200 रूपये प्रति माह की फ्लेट दर से बिजली के बिल दिये जायेंगे। यह जानकारी यहाँ योजना की समीक्षा के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों के कल्याण का नया इतिहास रचा जा रहा है। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये सब मिलकर जुट जायें। वीडियो कान्फ्रेंस में मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी और जिलों में विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीबों की जिन्दगी बदलने का अभियान है। इसके माध्यम से गरीबों को सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। इसके क्रियान्वयन में पूरी ताकत से जुट जायें। कोई भी पात्र श्रमिक योजना में पंजीयन कराने से नहीं छूटे, यह सुनिश्चित करें। वे स्वयं प्रति दिन योजना की समीक्षा करेंगे। बिना चिकित्सा के कोई गरीब नहीं रहे, इसके लिये उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सहायता योजना का लाभ दिलवायें। मुख्यमंत्री जन– कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में जागरूकता लायें। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना का दूसरा चरण आगामी 11 जुलाई को आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में सभी पंजीकृत श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड आगामी 10 से 30 जुलाई के बीच वितरित किये जायेंगे। योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर चयनित पाँच–पाँच संबल सहयोगियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाये। मुख्यमंत्री जन–कल्याण संबल योजना में जिन जिलों में पंजीयन कम हुआ है वहाँ फिर से शिविर लगाकर पंजीयन करवायें। कलेक्टर प्रतिदिन योजना की समीक्षा भी करें।

61 हजार 284 हितग्राहियों को 40 करोड़ रूपये की प्रसूति सहायता

बैठक में बताया गया कि संबल योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता श्रमिक परिवार में किसी भी आश्रित सदस्य की मृत्यु पर दी जायेगी। इसमें आयु सीमा का कोई बंधन नहीं रहेगा। इसी योजना के तहत प्रसूति सहायता के लिये अब तक 61 हजार 284 हितग्राहियों को 40 करोड़ रूपये की सहायता दी गई है। योजना में निरूशुल्क चिकित्सा सहायता दो लाख रूपये तक की दी जायेगी। मुख्यमंत्री जन–कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना में स्मार्ट कार्ड बताने पर विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार द्वारा भरी जायेगी। बिजली बिल बकाया माफी योजना के तहत पूर्व में धारा 126, धारा 135 और धारा 138 के प्रकरणों में राहत दी जायेगी। मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना के तहत संबल सहयोगियों को प्रशिक्षण देने के लिये चयनित मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आगामी 12 जुलाई को प्रशासन अकादमी में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री जन–कल्याण (संबल) योजना में लाभ वितरण के दूसरे चरण के कार्यक्रम 04 अगस्त को आयोजित होंगे।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, सामान्य प्रशासन एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह उपस्थित थे।

ग्रीष्मकालीन मूंग की प्रोत्साहन राशि 800 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित

भोपाल। राज्य शासन ने ग्रीष्मकालीन मूंग के लिये 800 रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। यह राशि कृषकों द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडियों में 4 से 31 जुलाई तक मूंग और उड़द की बिक्री पर देय होगी। ग्रीष्मकालीन मूंग की दर कृषि उपज मंडियों में पिछले एक माह की औसत दरों के आधार पर तय की गई है। ग्रीष्मकालीन उड़द के लिये प्रोत्साहन राशि बिक्री अवधि के दौरान या बाद निर्धारित की जायेगी।

किसान–कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश में उल्लेख है कि ग्रीष्मकालीन मूंग के दो हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्राच्छादन वाले 12 जिलों क्रमशरू होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, हरदा, विदिशा, गुना, देवास, इंदौर, धार और बालाघाट में मूंग की औसत उत्पादकता 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नियत की गई है। ग्रीष्मकालीन उड़द के एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्राच्छादन वाले 8 जिले क्रमशः जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, डिण्डोरी, सिवनी, दमोह और हरदा में औसत उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 14 क्विंटल नियत की गई है। इन जिलों में जिले की प्राथमिक साख समितियों द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उत्पादक कृषकों के पंजीयन 20 जून 2018 तक किये गये। पंजीकृत किसान ही योजना की प्रोत्साहन राशि के लिये पात्र होंगे।

राज्य शासन ने जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समिति के सदस्य सचिव उप संचालक किसान–कल्याण तथा कृषि विकास होंगे। राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण कृषि केबिनेट द्वारा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री युवा मण्डी उद्यमी योजना प्रारंभ

भोपाल। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिले की ऐसी मण्डी, उपमण्डी जो क्रियाशील नहीं हैं अथवा मंडी में लायसेंसी व्यापारियों की संख्या बहुत ही कम हैं, ऐसी मंडियों को क्रियाशील बनाए जाने के लिए तथा कृषकों को अपनी उपज को स्थानीय स्तर पर विक्रय की सुविधा की दृष्टि से मुख्यमंत्री युवा मंडी उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है।

युवा मण्डी उद्यमी योजना में सर्वप्रथम ऐसी मंडियों को प्राथमिकता की जायेगी, जो पूर्णतरू अक्रियाशील हैं और वहां कृषि उपज व्यापक पैमाने पर होती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आगामी 4 अगस्त को आयोजित हितग्राही सम्मेलन में युवा मंडी उद्यमियों को योजना के स्वीकृति पत्र वितरण किया जाना है।

अक्रियाशील उपमण्डी तथा ऐसी मंडियां एवं उप मंडियां जहां अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां युवा शिक्षित बेरोजगारों का चयन उपरांत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर मंडी व्यापार को बढ़ावा देना, जिससे मंडी एवं उप मंडी प्रांगणों में अधिक से अधिक कृषि उपजों का क्रय–विक्रय होगा। योजना से जहां एक और अक्रियाशील मंडियों के क्रियाशील होने से कृषक लाभांवित होंगे, वहीं दूसरी और मंडियों को मंडी शुल्क प्राप्त होगा एवं अवैध व्यापार भी नियंत्रित हो सकेगा तथा युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री युवा मंडी उद्यमी योजना पांच चरणों में संपन्न होगी। जिसमें आवेदक द्वारा आवेदन एवं युवा मंडी उद्यमी का चयन, आवेदक का प्रशिक्षण, आवेदक की व्यवहारिक ट्रेनिंग (इंटर्नशिप), आवेदक की अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना, (आवेदक व्यवहारिक ट्रेनिंग इंटर्नशिप) के दौरान संबंधित मंडी समिति में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिससे समय–सीमा में आवेदन का परीक्षण कर अनुज्ञप्ति स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो, योजना के लिए युवा मण्डी उद्यमी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक हो, आवेदक की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक शिक्षित बेरोजगार हो, शासकीय सेवक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक योजना अन्तर्गत एक बार ही ऋण का पात्र होगा। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत, वित्तीय संस्था सहकारी बैंक का चूककर्ता, अशोधी होने पर योजना के लिए अपात्र होगा। आवेदक किसी भी अशासकीय उद्यमी योजना, स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा। युवा उद्यमी मंडी योजना को प्रशिक्षण प्रदान कर चयन पश्चात बड़ी मंडियों में व्यापारियों के साथ व्यवहारिक ट्रेनिंग जिला मुख्यालय की मंडी समिति द्वारा (कम्प्यूटर, लेखा, मंडियों के व्यवहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण) देकर उप मंडियों में स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री से सहायता पाकर हितग्राहियों के चेहरे खिले

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरों का विकास पर्व तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ–2017 के दावा राशि के प्रमाण–पत्र सागर के बामोरा मैदान में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में वितरित किए। इस दौरान हितग्राहियों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी।

सागर जिले के समनपुरसेठ, तहसील देवरी के किसान प्रभु दयाल पिता श्यामलाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मुख्यमंत्री ने यहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ–2017 की दावा राशि का वितरण किया। मुझे एक लाख 92 हजार 45 रुपए का स्वीकृति पत्र मिला। उनका कहना है सरकार किसानों के हित में काम कर रही है हम किसान भाई बहुत खुश हैं। उनका यह भी कहना है पहले तो फसल नुकसान पर 100–400 रुपये ही मिलते थे, अब प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सरकार किसानों का पूरा ख्याल रख रही है। किसान राजधर भी सरकार की फसल बीमा योजना से खुश हैं, उन्हें 3 लाख 14 हजार की सहायता मिली।

मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, फसलों का बीमा करवा रही है और फसलों के अच्छे मूल्य के साथ ही समर्थन मूल्य के अलावा प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसी क्रम में जनकल्याण संबल योजना में धनवंती लोधी, कमलेश ठाकुर, नेहा सेन, रानी शेख रामनाथ कोरी सहित पट्टा प्राप्त हितग्राही छोटेलाल और मोना अहिरवार आदि सभी ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। यहां विमला,पुष्पा वर्मा, कमलाबाई को अंत्येष्टि सहायता और संबल योजना तहत 2 लाख की सहायता मिली। ये हितग्राही भी मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि दुख की घड़ी में संबल योजना हमारे परिवार के लिए बड़ा सहारा बनी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान प्रदेश के 16 नगरीय निकायों में हो रहे विकास कार्यों का ई–पोर्टल से लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभान्वित किसानों को दावा राशि का वितरण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न नगरीय निकायों में उपस्थित नागरिकों और हितग्राहियों से लाइव–प्रसारण के माध्यम से बात भी की।

लाइव–प्रसारण के माध्यम से मनासा नगर परिषद से सुनीता राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका पक्का मकान बन गया है। इससे अब वह और उसका परिवार साफ–सुथरे, पक्के मकान में रहते हैं। अब घर में कीचड और पानी नही आता जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं तथा रोज स्कूल भी जाते हैं। देवास से पुनीत चौधरी ने बताया कि सेवासूत्र के माध्यम से बस सेवा शुरू हो जाने से अब वह आसानी से कॉलेज जाता है। यहीं से अंकिता खत्री ने बताया कि नगरीय विकास की योजनायें प्रारंभ हो जाने से अब उसका शहर साथ–सुथरा रहेगा और गंदगी नहीं होने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा।

चंदेरी की श्रीमती राबिया बेगम ने मुख्यमंत्री को सलाम किया, जिसके उत्तर में मुख्यमंत्री ने सलाम का जबाव देते हुये कहा कि बहन खुश रहें और मेरे भान्जा–भान्जी भी खुश रहें। राबिया बेगम ने कहा कि परवरदिगार से दुआ है और अल्लाह आपको और बरकत दे।

डेंगु एवं चिकनगुनिया रोग से बचाव हेतु सावधानियां जरूरी

भोपाल। डेंगु एवं चिकुनगुनिया का वाहक मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है और दिन के समय काटता है। नागरिक वर्षा के पानी को जमा न होने दें। आस–पास सफाई रखें और डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बचें। डेंगू के लक्षण में तेज बुखार, ऑखों, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसूड़ों व नाक से खून बहना, शरीर पर लाल चकत्ते होना डेंगू हो सकता है। चिकनगुनिया के लक्षण में तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द शरीर पर लाल चकत्ते आना आदि हैं।

लक्षण पाये जाने पर खून की जांच कराएं, जांच में डेंगू या चिकनगुनिया पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार पूरा उपचार लें। बचाव के लिए पानी के बर्तन ढंक कर रखें। अनुपयोगी सामग्रियों जैसे कूलर, ड्रम, टंकी, बाल्टी आदि में पानी जमा न होने दें। दोबारा उपयोग से पूर्व उन्हें अच्छी तरह सुखाएं। हैण्डपंप के आस–पास भी पानी इकट्ठा न होने दें। जमे पानी पर मिट्टी का तेल या जला हुआ इंजन का तेल डालें। आस–पास सफाई रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।

कृषि आदान विक्रेता डिप्लोमा हेतु पंजीयन करायें

रायसेन। कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय भारत शासन द्वारा कृषि आदान विक्रेताओं को कृषि विस्तार सेवा में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आदान विक्रेताओं की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फसल तकनीकी से अवगत कराकर उनकी तकनीकी दक्षता विकसित करना तथा इनके माध्यम से कृषि तकनीकी का कृषकों के हित में विस्तार और प्रचार–प्रसार किया जाना है। कृषि आदान विक्रताओं से कृषि विभाग द्वारा यह अपील की गई है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने हेतु पंजीयन अनिवार्यतः करायें। डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अर्हताएं हाईस्कूल उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिक जानकारी हेतु अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह

मंडला। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मण्डला द्वारा सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह देते हुए बताया कि मानसून का आगमन जिन क्षेत्रों में हो चुका है वहां बतर जिले मिलते ही सोयाबीन की बौवनी जल्द से जल्द करें। रोगों की रोकथाम हेतु बीजोपचार अवश्य करें इस हेतु प्रति एक किलोग्राम बीज में 2 ग्राम थाईरम + 1, ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा थाईरम 2 ग्राम थाईरम + 1 ग्राम कार्बाक्सीन अथवा जैविक फफंदनाशक ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम से उपचार करें। तत्पश्चात् कीटनाशक थायोमिथाक्सम 30 एफएस (10 मिली/किग्रा बीज) या इमिडाक्लोप्रिड 48 एफएस (1. 2 मिली/किग्रा बीज) से बीज को उपचारित कर जैविक कल्चर राइजोबियम एवं पीएसबी प्रत्येक 5 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित कर बौवनी करें। खरपतवार की अधिकता होने पर बौवनी के तुरंत बाद एवं सोयाबीन के अंकुरण पूर्व खरपतवारनाशक जैसे डाई–क्लोसुलम 26 ग्राम/हे. अथवा सल्फेन्ट्राझोन 750 मिली/ हे. अथवा पेन्डीमिथालीन 3.25 ली/हे. की दर से छिड़काव करें। जहां पर सोयाबीन अंकुरित हो चुकी है वहां पर नीला भृंग कीट के प्रकोप होने की संभावना हो सकती है। अतः नील भृंग की गतिविधि दिखाई देने पर क्वीनालफॉस 1.5 ली/हे. की दर से छिड़काव कर कीट का नियंत्रण करें। विगत वर्ष जिन स्थानों पर सोयाबीन की फसल पर व्हाईट ग्रब (सफेद सूंडी) का प्रकोप हुआ वहां के किसान विशेष रूप से ध्यान देकर, व्हाईट ग्रब के वयस्कों को एकत्र कर नष्ट करने के लिये प्रकाश जाल अथवा फिरोमोन ट्रेप का प्रयोग करें। बोवाई से पूर्व इमिडाक्लोरोपिड 48 एफएस (1.25 मिली प्रति किलो बीज से बीजोपचार) अवश्य करें।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की टास्क फोर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्रियान्वयन करेगी

होशंगाबाद। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की संपूर्ण गतिविधियों के संचालन के लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं तहसील स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि वह जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट को कडाई से लागू करायेगी। बालिका लिंगानुपात में सुधार कर समान स्तर पर लाने में सहयोग करेगी। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य के प्रति आमजनों में जन जागरूकता लायेगी। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्म वातावरण का निर्माण करने में सहायक होंगी। टास्क फोर्स बालिकाओं को आत्मरक्षा एवं स्वालंबन के प्रति जागरूक करेगी और बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के माध्यम से महिला एवं बालिका सुरक्षा युक्त ग्राम, ब्लॉक, जिला घोषित करायेगी। इसके द्वारा जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अशासकीय संस्थाओं के सदस्य, समाज सेवियों एवं जन सामान्य के माध्यम से बालिकाओं एवं बालिकाओं का प्रत्येक स्तर पर सम्मान किए जाने हेतु विविध गतिविधियों का आयोजन करेगी। इसके अलावा समाज में बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति व्याप्त कुप्रथाओं को समाप्त करेगी।

श्रमिक कर्मकार परिवारों के लिए मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 मध्यप्रदेश के समस्त पंजीकृत श्रमिक कर्मकार परिवारों के लिए है। उन्हें प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जावेगी। योजना अंतर्गत पंजीबद्ध श्रमिक परिवार की महिलाओं को कुल रु. 16000/- की सहायता राशि दो किश्तों में दी जावेगी।

योजना के लिये पात्रता

- ✓ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूतायें।
- ✓ पंजीकृत श्रमिक महिला अथवा पंजीकृत श्रमिक पुरुष की पत्नी।
- ✓ प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में ही देय होगी।
- ✓ प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जायेगा।

शर्तें एवं प्राप्त होने वाला लाभ

1. **प्रथम किश्त** ► गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अन्तिम तिमाही तक चिकित्सक/ए.एन.एम. द्वारा 4 प्रसव पूर्व जाँच कराने पर राशि रुपये **4000/-** महिला को दी जायेगी।
2. **द्वितीय किश्त** ► शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर नवजात शिशु को संस्थागत जन्म उपरान्त शीघ्र स्तनपान व पंजीयन कराने पर एवं शिशु को 0 डोज BCG, OPV व Hep BV टीकाकरण कराने पर राशि रुपये **12000/-** महिला को दी जायेगी।

(उपरोक्त राशि में जे.एस.वाय. एवं प्रथम प्रसव हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि सम्मिलित होगी।)

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. महिला अथवा पात्र श्रमिक का पंजीयन कार्ड अथवा समग्र कार्ड
2. शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का प्रमाण-पत्र (डिस्चार्ज टिकिट)
3. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड)
4. आधार कार्ड की छायाप्रति
5. आधार सम्बद्ध बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति

राज्य बीमारी सहायता निधि योजना

- शासन द्वारा **श्रमिक संवर्ग के परिवार के सदस्यों** को राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत 21 चिन्हित बीमारियों के निःशुल्क उपचार की सुविधाओं का लाभ देने हेतु दिनांक 04.05.2018 से सम्मिलित किया गया है।

योजना की अधिक जानकारी के लिये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करें।

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी

NATIONAL HEALTH MISSION

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2018

D-17004/2018

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।